प्रेस नोट 23.02.2021

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.02.2021 को थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेल व चेकिंग के दौरान गाजीपुर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 24/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विष्णू राजभर पुत्र भोला राजभर निवासी नियामुपुर थाना सरायलखंसी, राहुल मिश्र पुत्र अंजनी मिश्र निवासी मित्तुपुर मिश्रौली थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 23.02.2021 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान दशई पोखरा से मु0अ0सं0 98/20 धारा 380,411,457 भादवि0 में वांछित अभियुक्त वंसराज कुमार उर्फ रोशन पुत्र अशोक कुमार निवासी देवसीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 23.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा राधेश्याम, प्रमोद निवासीगण बेलभद्रपुर, दयानिधी निवासी बनाफा, दिनेश, सूर्यभान, अजीत, शक्ति, रणधीर, सुभम निवासीगण रसूलपुर, राजन, रवि, अनिल निवासीगण भैरोपुर, विश्वास, कोमल यादव निवासी ख्वाजापुर थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा भीम निवासी जमदरा थाना हलधरपुर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा आदित्य कुमार निवासी मोलनापुर थाना मेहनगर, अभय राय निवासी मेहनगर, अभय सिंह निवासी कतात थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा गोलू कुमार, हीरालाल, छोटु कुमार निवासीगण सलाहाबाद थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना **मधुबन पुलिस द्वारा एक वारंटी** अभियुक्त परशुराम पुत्र रामयदि निवासी बिसेन दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

लगभग 01 करोड़ सरकारी धन गबन करने में शामिल आरोपी को इओडब्ल्यू वारणसी ने किया गिरफ्तार–

वर्ष 2016–2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 मऊ–गोरखपुर मार्ग के विस्तारीकरण में श्री ब्रम्हाबाबा जूनियर हाइस्कूल हेमई तहसील घोसी मऊ की चार गाटो की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रिहीत की गयी थी। मुवावजा में विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रतिकर धनराशि 01 करोड़ 01 लाख 37 हजार 712 रूपये का भुगतान नियमानुशार प्रबन्धक श्री ब्रम्हबाबा जूनियर हाइस्कूल के खाता में किया गया। लेकिन साजिशकर्ता बबलु मौर्या पुत्र राजेन्द्र मौर्या निवासी जमीन फोन्दा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2017 में कार्पोरेशन बैक मऊनाथ भंजन शाखा में श्री ब्रम्हबाबा जूनियर हाइस्कूल का प्रबन्धक स्वयं को दिखाकर सिंगल चालू खाता खुलवाकर धनराशि 01 करोड़ 01 लाख 37 हजार 712 सहयोगी अभियुक्तों के साथ मिलिभगत कर धोखाधड़ी से निकाल कर गबन कर लिया।

इस घटना के सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2018 को कार्पोरेशन बैक के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री दीपक सुमन के द्वारा थाना घोसी जनपद मऊ पर मु0अ0सं0 66/18 धारा 419,420,467,468,471,409,120बी भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। घोसी पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी बबलू मौर्या को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए शासन ने इस मुकदमें की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी का सूपूर्द किया गया। विवेचना के दौरान मुख्या आरोपी बबलू मौर्या के साथ तत्कालिन लेखपाल मु0 फरीद तहसील घोसी मय गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रजीत चौहान पुत्र सुबेदार निवासी बनौरा सुल्तानपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ की संलिप्तता इस घनराशि में पायी गयी है।

आज दिनांक 23.02.2021 को दोपहर में अभियुक्त चन्द्रजीत चौहान की गिरफ्तारी उसके निवास स्थान से किया गया।

अभियुक्त के द्वारा साजिशकर मुख्य आरोपी बबलू मौर्या के बैक में खाता खोलते समय खाता फार्म पर अपनी पहचान कर बबलू मौर्या के फोटो अभिलेख (पैन कार्ड, आधार कार्ड अन्य अभिलेख) की पहचान और सत्यापन किया गया। जिसके आधार पर ही बैक में खात खुला। इस घटना में सामिल लेखपाल मु0 फरीद की गिरफ्तारी 02 दिन पहले इओडब्ल्यू वाराणसी के द्वारा करके जेल भेजने की कार्यवाही की जा चुकी है।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, निरीक्षक विध्यवासिनी मणी त्रिपाठी, मु0आ0 शशिकान्त सिंह, का0 विनित पाण्डेय, का0 सुनिल मिश्रा इओडब्ल्यू वाराणसी।

उ0नि0 सरफराज खान, का0 दिव्यांस सिंह थाना दक्षिणटोला।